समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में सूचना समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.203 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी **श्री इन्तकाव अहमद पे0 श्री कुतुबद्दीन, सा0 खानकब मोहल्ला (विहार शरीफ), जिला नालंदा वर्तमान पता- श्री इन्तकाब अहमद सी/ओ. श्री खातिब अहमद, मस्जिद चौक, मधेपुरा** द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में सूचना अंकित कर नहीं समर्पित किया, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 52/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1963 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति शर्त्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत **दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-11/2003 (मधेपुरा थाना)** को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त स्पष्टीकरण का जवाव अबतक समर्पित नहीं किया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं। संचिका अवलोकन से ज्ञात होता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति वर्ष 2005 तक नवीकृत एवं शस्त्र क्रय कर प्रस्तुत करने की अवधि 30-04-2005 निर्धारित की गई थी। इन्होंने 01-05-2005 से अद्यतन समय तक नवीकरण एवं शस्त्र क्रय के लिए अवधि विस्तार हेतु आवेदन पत्र समर्पित नहीं किया है और न ही कोई प्रयास किया है। इससे साफ पता चलता है कि अभी भी अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र विहिन हैं एवं अब इन्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं रह गई है। यह अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ मनमानेपन एवं अनुज्ञप्ति शर्त्त का उल्लंघन है।

अतएव शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए **श्री इन्तकाव अहमद पे0 श्री कुतुबद्दीन, सा0 खानकब मोहल्ला (विहार शरीफ), जिला नालंदा वर्तमान पता- श्री इन्तकाब अहमद सी/ओ. श्री खातिब अहमद, मस्जिद चौक, मधेपुरा** के नाम से निर्गत **दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-11/2003(मधेपुरा थाना)** को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है एवं शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-21 के तहत आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल अनुज्ञप्ति पुस्त पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 150 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 31.3.14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **श्री इन्तकाव अहमद पे0 श्री कुतुबद्दीन, सा0 खानकब मोहल्ला (विहार शरीफ), जिला नालंदा वर्तमान पता- श्री इन्तकाब अहमद सी/ओ. श्री खातिब अहमद, मस्जिद चौक, मधेपुरा** को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

31/3/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।